

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान**

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)

क्रमांक: प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/ 6769

दिनांक: 24/12/19

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा निदेशालय में रखा जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्रीमती आरती बाई पत्नी श्री महावीर	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
2.	श्री मुकेश हरित पुत्र श्री मदन हरित	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
3.	श्री विनोद थनवाल पुत्र श्री मोडू लाल	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
4.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री ओमप्रकाश	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
5.	श्री बाबू लाल पुत्र श्री चोथ्या	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किरीसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक् हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

  
(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/ 6770 - 6780

दिनांक: 24/12/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, रवाशा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
4. प्रभारी, सूचना एवं तकनीकी अनुभाग निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाधी अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका .....
6. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग .....
7. संबंधित कर्मचारी श्री .....
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संयुक्त सचिव) 9  
उप निदेशक(प्रशासन)